त्वरित डाक द्वारा

सं. I-12011/1/2016-श.प्र.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(शर्करा प्रशासन अनुभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 15 फरवरी, 2016.

सेवा में,

निदेशक

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,

कल्याणपुर, कानपुर - 208017.

विषय - सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना – के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे, प्रधान मंत्री कार्यालय के दिनांक 09.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आर टी आई /1102/2016 - पी एम् आर द्वारा प्राप्त श्री अमित त्रिपाठी, निवासी म.न. 299 ए, नानकारी, आई. आई. टी. कानपुर , का पत्र अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. श्री अमित त्रिपाठी ने अपने पत्र द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक से संस्थान से सम्बंधित कई विषयों पर सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।

3. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान , कानपुर से अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना प्रार्थी को अविलम्ब भेजने की कृपा करें तथा उसकी प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय तथा इस विभाग को भी भेजने की कृपा करें ।

भवदीय,

(मनोज शर्मा)

जनसूचना अधिकारी एवं अवर सचिव भारत सरकार

दूरभाष - 23383943

सलंग्नक: यथापरोक्त

प्रति:

1. श्री अमित त्रिपाठी, पुत्र श्री महेश चन्द त्रिपाठी, निवासी म.न. 299 ए, नानकारी, आई. आई. टी. कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208010.

2. प्रधान मंत्री कार्यालय को उनके दिनांक 09.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आर टी आई /1102/2016 - पी एम् आर के सन्दर्भ में ।

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली — 110 011
दिनांक: 9/2/2016

संख्या आरटीआई/1102/2016-पीएमआर

684591

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री अमित त्रिपाठी से प्राप्त दिनांक 27.1.2016 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 3.2.2016 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी.के. शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
e-mail: rti-pmo.applications@gov.in
फोन: 2338 2590

सचिव, भारत सरकार
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री अमित त्रिपाठी
पुत्र डॉ. महेश चन्द्र त्रिपाठी
म.नं. 299ए, नानकारी
आई.आई.टी., कानपुर
उत्तर प्रदेश-208010

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

JS (Sugar)
Secy Mam is on tour.

D.S. (SAPSL)

15/2/16

1102-6/2/16

1102/16

दिनांक
27/01/2016

सेवा मे —

माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

PRIME MINISTER'S OFFICE
03 FEB 2016
DAK SECTION

विषय - जन सूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करना।

FA/PD सविनय निवेदन है महोदय मेरे कुछ प्रश्नो के जवाब चाहिये।

1 - आप एन. एस. आई. के निदेशक पद पर कब नियुक्त हुए थे?

2 - जब से आप नियुक्त हुए तब से लेकर अब तक दिनांक - 27/01/2016) तक टैक्सी केयर और एयर केयर दोनो के बिलो की छाया प्रति प्रदान करें?

3 - आप के संस्थान में जो भी सप्लायर सर्विस देते है। और आपको बिल देने के बाद आप कितने दिन बाद उसका भुगतान करते है तो उस भुगतान की रसीद की छाया प्रति प्रदान करें?

URGENT
RTI ACT
Diary No. 42209
& Date 03/02/16
Last Date 08/02/16

4 - आपकी योग्यता क्या है। आप अपनी डिग्री की छाया प्रति प्रदान करें?

4356383

IPO No - 34F223504 रु 10/- बी. डी. ओ.

आप अपने यहाँ कोई भी नियुक्ति कैसे करते हैं और उनका भुगतान कैसे करते हैं कृपया इसकी छाया प्रति मुझे प्रदान की जाय ?

6 — आपके यहाँ कोई भी भर्ती होती है तो वह आपकी संस्थान में जितने समय के लिये कार्य करता है। तो आप उसको सम्बन्धित प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते है?

7 — क्या आपका संस्थान भारत में नहीं है क्या ? क्या आपका कोई दूसरा कानून है। या आप भारत के कानून की नियमावली को नहीं मानते है?

8 — किस प्रक्रिया के तहत आप अपने संस्थान में उपकरण मंगवाते है?

I.P.O. No. 34F 223504

प्रतिलिपि

1- महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार - नई दिल्ली
2- माननीय गृह मंत्री भारत सरकार - नई दिल्ली
3- माननीय शिक्षा मन्त्री भारत सरकार - नई दिल्ली
4- श्री नरेन्द्र मोहन अग्रवाल निदेशक एन.एस.आई कानपुर

Amit

प्रार्थी

अमित तिवारी पुत्र श्री डा. महेश चन्द्र तिवारी
म. नं. - 299 ए नानकारी
आई. आई. टी. कानपुर - 208016

त्वरित डाक द्वारा

सं. I-12011/1/2016-श.प्र.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(शर्करा प्रशासन अनुभाग)

SAO
22/2/16

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 15 फरवरी, 2016.

सेवा में,

निदेशक

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,

कल्याणपुर, कानपुर - 208017.

विषय - सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना – के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे, प्रधान मंत्री कार्यालय के दिनांक 09.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आर टी आई /1102/2016 - पी एम् आर द्वारा प्राप्त श्री अमित त्रिपाठी, निवासी म.न. 299 ए, नानकारी, आई. आई. टी. कानपुर , का पत्र अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. श्री अमित त्रिपाठी ने अपने पत्र द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक से संस्थान से सम्बंधित कई विषयों पर सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।

3. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान , कानपुर से अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना प्रार्थी को अविलम्ब भेजने की कृपा करें तथा उसकी प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय तथा इस विभाग को भी भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(मनोज शर्मा)

जनसूचना अधिकारी एवं अवर सचिव भारत सरकार

दूरभाष - 23383943

सलग्नक: यथापरोक्त

प्रति:

1. श्री अमित त्रिपाठी, पुत्र श्री महेश चन्द त्रिपाठी, निवासी म.न. 299 ए, नानकारी, आई. आई. टी. कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208010.
2. प्रधान मंत्री कार्यालय को उनके दिनांक 09.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आर टी आई /1102/2016 - पी एम् आर के सन्दर्भ में।

491
01/3/16

RTI MATTER/BY SPEED POST

सं.25(52)/2016/RTI/48

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन : 0512-2570575
फैक्स : 0512-2570247

कानपुर, दिनांक 21.3.2016

आवक
संख्या 948
दिनांक 21/3/16

सेवा में,

श्री अमित त्रिपाठी
पुत्र श्री डॉ महेश चन्द्र त्रिपाठी
म.सं.299A, नानकारी
आई.आई.टी., कानपुर - 208017।

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दि.19.02.2016 (जो की संस्थान में दि.22.02.2016 को प्राप्त हुआ) के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी बिंदुवार सूचना निम्नवत है -

1. श्री नरेंद्र मोहन ने संस्थान में निदेशक के पद पर दिनांक 31.5.2013 से पदभार ग्रहण किया।

2. नियुक्ति की तिथि से लेकर दिनांक 27.01.2016 तक के मांगे गए टैक्सी फेयर एवं एयर फेयर के बिलो की छायाप्रति के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि श्री नरेंद्र मोहन द्वारा अलग से कोई भी टैक्सी या एयर-फेयर का उपभोग नहीं किया गया है; परन्तु किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह कार्यों का निर्वहन करते हुए किये गए सरकारी यात्रा से सम्बंधित यात्रा भत्ता दावें समय-समय पर प्रस्तुत किये गए हैं, जिससे सम्बन्धी क्लेम Pay & Accounts Office के प्रतिनिधि Assistant Accounts Officer के audit एवं भुगतान उपरांत कॅश अनुभाग के रिकार्ड्स में उपलब्ध हैं।

निदेशक महोदय द्वारा की गई सरकारी यात्रा से सम्बंधित यात्रा भत्ता दावों (टैक्सी फेयर एवं एयर फेयर सहित) की कुल पृष्ठों की संख्या 644 हैं, जिनकी छायाप्रतियां रू.2/- (रुपये दो मात्र) प्रति पृष्ठ के दर से रू.1,288/- (रूपये एक हज़ार दो सौ अठास्सी मात्र) के भुगतान के उपरांत उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

3. यह प्रश्न किसी विशिष्ट सप्लायर सर्विस से सम्बंधित न होने के कारण इसका उत्तर दे पाना संभव नहीं है। किसी भी बिल का भुगतान भारत सरकार द्वारा तय विभिन्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है। अतः जिस काल्पनिक भुगतान के रसीद की मांग आवेदक कर रहे है, उसकी छायाप्रति दे पाना संभव नहीं है। यदि आवेदक किसी विशिष्ट सप्लायर सर्विस तथा सामग्री का नाम, उसे सप्लाई

21/3/16

करने की तिथि आदि का ब्यौरा भेजे, तो तदनुसार मांगी गयी सूचना तथा छायाप्रति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा सकती है।

इस सन्दर्भ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि संस्थान एक आइ.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान है एवं पूर्ण अवस्था में प्राप्त कोई भी बिल सामान्यतः जारी समय-सारणी (नोटिफाइड शेड्यूल) के अनुसार जहाँ तक संभव हो, प्रोसेस करने का प्रयत्न किया जाता है (शेड्यूल की प्रतिलिपि कुल दो पृष्ठों में उपलब्ध हैं, जिसकी छायाप्रति रू.2/- (रुपये दो मात्र) प्रति पृष्ठ के दर से रू.4/- (रूपये चार मात्र) के भुगतान के उपरांत उपलब्ध कराई जा सकती हैं।) सभी बिल भारत सरकार के सम्बंधित नोटिफाएड नियम जैसे कि, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, 2005; डेलीगेशन ऑफ़ फाइनेंशियल पावर्स आदि के अंतर्गत विनियमित किये जाते है।

4. श्री नरेंद्र मोहन, निदेशक महोदय की योग्यता बी.एस.सी.; फेलोशिप ऑफ़ नेशनल शुगर इंस्टिट्यूट (शुगर टेक्नोलॉजी) है।

सम्बंधित डिग्रियों की प्रतिलिपि तृतीय पक्ष से सम्बंधित एवं निजी सूचना होने के कारण एवं प्रथमदृष्टया कोई भी जनहित से सम्बंधित न होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 8(1)(e) एवं (j) के अंतर्गत न देने की छूट है।

5. संस्थान में किसी भी नियमित पद पर नियुक्ति हेतु उस पद से सम्बंधित भर्ती नियम के आधार पर उस में उल्लेखित एजेंसी, यथा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अथवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की जाती है। किसी भी नियमित कर्मचारी का उनसे सम्बंधित विभिन्न भुगतान जैसे वेतन, एलटीसी क्लेम आदि सभी भुगतान बैंक द्वारा सीधे कर्मियों के बैंक खाते में क्रेडिट कर दिए जाते हैं अथवा चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा नकद प्रदान किये जाते है। चूँकि आवेदक ने किसी विशेष नियुक्ति अथवा कर्मचारी से सम्बंधित सूचना तथा/अथवा छायाप्रति नहीं मांगी है; अतः सूचना तथा/अथवा छायाप्रति दे पाना संभव नहीं है। आवेदक कृपया अपने प्रश्न को specify करें, ताकि उसे सम्बंधित सूचना/छायाप्रति प्रदान की जा सके।

6. किसी भी नियमित पद पर कोई भी कर्मचारी नियमित भर्ती के उपरांत आज की तिथि में सामान्यतः 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। इस सन्दर्भ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सम्बंधित प्रश्न काल्पनिक है एवम उपलब्ध कार्यालय अभिलेखो में ऐसा कोई उदाहरण अस्तित्व में नहीं है।

7. सम्बंधित प्रश्न काल्पनिक है एवम उपलब्ध कार्यालय अभिलेखो में ऐसा कोई उदाहरण अस्तित्व में नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना जिस अवस्था में उपलब्ध हो, उसी अवस्था में देने की व्यवस्था हैं एवं प्रश्न काल्पनिक होने के कारण उत्तर देने की बाध्यता नहीं है। परन्तु यह सूचित किया जाता हैं कि यह संस्थान भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है; तथा भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत कार्यों एवं कार्यालय का संचालन किया जाता है।

8. जनरल फाइनेंशियल रूल्स, 2005 के नियमानुसार टेंडर्स तथा/अथवा कोटेशन्स आमंत्रित कर उपकरण मंगवाये जाते है।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकाशित धाराओं, नियमों, उपनियमों, अनुदेशों तथा समय-समय पर सरकार के सम्बंधित विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मांगी गयी सूचना पर केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दी जा सकती है अथवा देने की छूट है।

10. सम्बंधित प्रश्न काल्पनिक है एवम उपलब्ध कार्यालय अभिलेखो में ऐसा कोई उदाहरण अस्तित्व में नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना जिस अवस्था में उपलब्ध हो उसी अवस्था में देने की व्यवस्था हैं एवं प्रश्न काल्पनिक होने के कारण उत्तर देने की बाध्यता नहीं है।

उपरोक्त परिच्छेद 3 एवं 4 के अनुसार निदेशक महोदय द्वारा की गई सरकारी यात्रा से सम्बंधित यात्रा भत्ता दावों (टैक्सी फेयर एवं एयर फेयर सहित) तथा आइ.एस.ओ. 9001:2008 के अनुसार जारी समय-सारणी (नोटिफाइड शेड्यूल) की कुल 646 पृष्ठों की छायाप्रतियां कुल रू.1,,292/- (रूपये एक हज़ार दो सौ बयानबे मात्र) के भुगतान के उपरांत प्राप्त की जा सकती हैं। छायाप्रतियां प्राप्त करने हेतु आप उपरोक्त राशि संस्थान के कोषागार में किसी भी कार्यदिवस पर कॅश में जमा कर ऊचित रसीद अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देकर प्राप्त सकते हैं अथवा निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/भारतीय पोस्टल आर्डर, जोकि कानपुर में देय हो, के माध्यम से डाक द्वारा प्रेषित कर प्राप्त कर सकते हैं।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं -

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कानपुर - 208017।

भवदीय

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

O/C